न्यायालय समाहत्ता, सहरसा

अधिग्रहण वाद संख्या– 10/2018,

राज्य बनाम श्री संजय यादव

–::आदेश::–

10.01.2020

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, के पत्रांक 1065–2 दिनांक 14.09.2018 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया।

प्रस्ताव में अंकित है कि दिनांक– 17.10.17 को दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा छापामारी की गयी। छापामारी के दौरान मदनपुर चौक, थाना– बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ०पी०) में पिकअप भान पर कालाबाजारी के नियत से ले जा रहे 34 बोरा अरवा चावल को जप्त किया गया। पकड़े गये पिकअप भान के चालक के बयान के आधार पर ग्राम पंचायत बघवा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, श्री संजय यादव अनुज्ञप्ति संख्या 87/16 एवं अन्य पर बलवाहाट ओ०पी० में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जप्त अरवा चावल को जिम्मेनामा पर कांठो के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मुकेश पौदार को सौंपा गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बखितयारपुर द्वारा इसी के साथ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बखितयारपुर का अनुशंसा पत्र, दर्ज प्राथमिकी, जिम्मेनामा व जप्ती सूची की छायाप्रति संलग्न करते हुए जप्त चावल के अधिग्रहण के संबंध में अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 4058/अप०शा०, दिनांक 25.07.2018 द्वारा भी बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ०पी०) थाना कांड संख्या 374/17, दिनांक 17.10.2017 में बरामद सरकारी खाद्यान्न (जप्ती सूची के अनुसार) के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्रवाई के संबंध में प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रतिवादी मुकेश कुमार यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत बघवा, प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर को भी अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। उनके द्वारा उक्त जप्त चावल से कोई मतलव नहीं होने के संबंध में लिखित रूप से अपना पक्ष रखा गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर और पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रस्ताव में जप्त खाद्यान के सरकारी होने का उल्लेख कर अधिग्रहण किये जाने हेतु अनुराध किया है। प्रतिवादी संजय यादव द्वारा भी जप्त खाद्यान पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त आलोक में मदनपुर चौक, थाना– बख्तियारपुर (बलवाहाट ओ०पी०) में पिकअप भान पर कालाबाजारी के नियत से ले जा रहे 34 बोरा अरवा चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 6ए के अन्तर्गत अधिग्रहित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को आदेश दिया जाता है कि जप्त खाद्यान को जिम्मेनामा पर रखे गये जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से एम० एस० पी०/खुले डाक के माध्यम से बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अंतर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्ता,
सहरसा।

समाहर्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक:- 34, दिनांक:- 14.01.20

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी- सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी० को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी- [illegible], सहरसा